



जयपुर विकास प्राधिकरण

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड से फ्री होल्ड)

आवासीय

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



क्रमांक/म-3183

दिनांक 19-7-2022

पट्टा धारक का नाम श्रीमती गोपाली देवी पुत्र/पुत्री

पति श्री रामकेश भीगा

निवासी A-4 मिहिरा नगर, सवाई जयपुर, जयपुर

★ शहर अथवा 2021 ★

पट्टा धारक मैसर्स

कार्यालय पता

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

निवासी

भूखण्ड सं. ख. नं. - 1423/891 क्षेत्रफल 2375.79 वर्ग म.

राजस्व ग्राम

खसरा सं.

योजना सवाई जयपुर (मिहिरा नगर) में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

गोपाली

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

उप/पंजीयक
सांगानेर प्रथम

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
ज.वि.प्र. जयपुर



**आवासीय
पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड से फ्री होल्ड)
(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)**



पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कर्ता के पक्ष में माम प्रस्थित करने के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा नियम/अपराधी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि ₹ 500/-

12/05/2021

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....
उत्तर..... दक्षिण.....

साइट प्लान संलग्न है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. गोपाली
2.



साक्षी :-

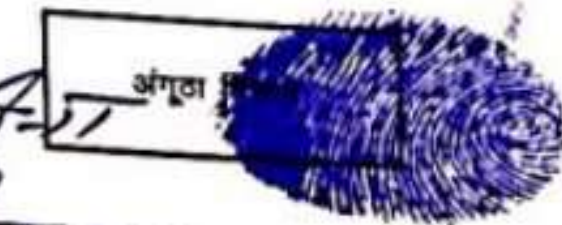
हस्ताक्षर ...

नाम ...

पता ...

...

...



प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
उपायुक्त जैन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण साईट प्लान

(REVISED)

SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT IN KH.NO. 1423/891 VILL.
SAWAI GATOR TEH.- SANGANER, JAIPUR.

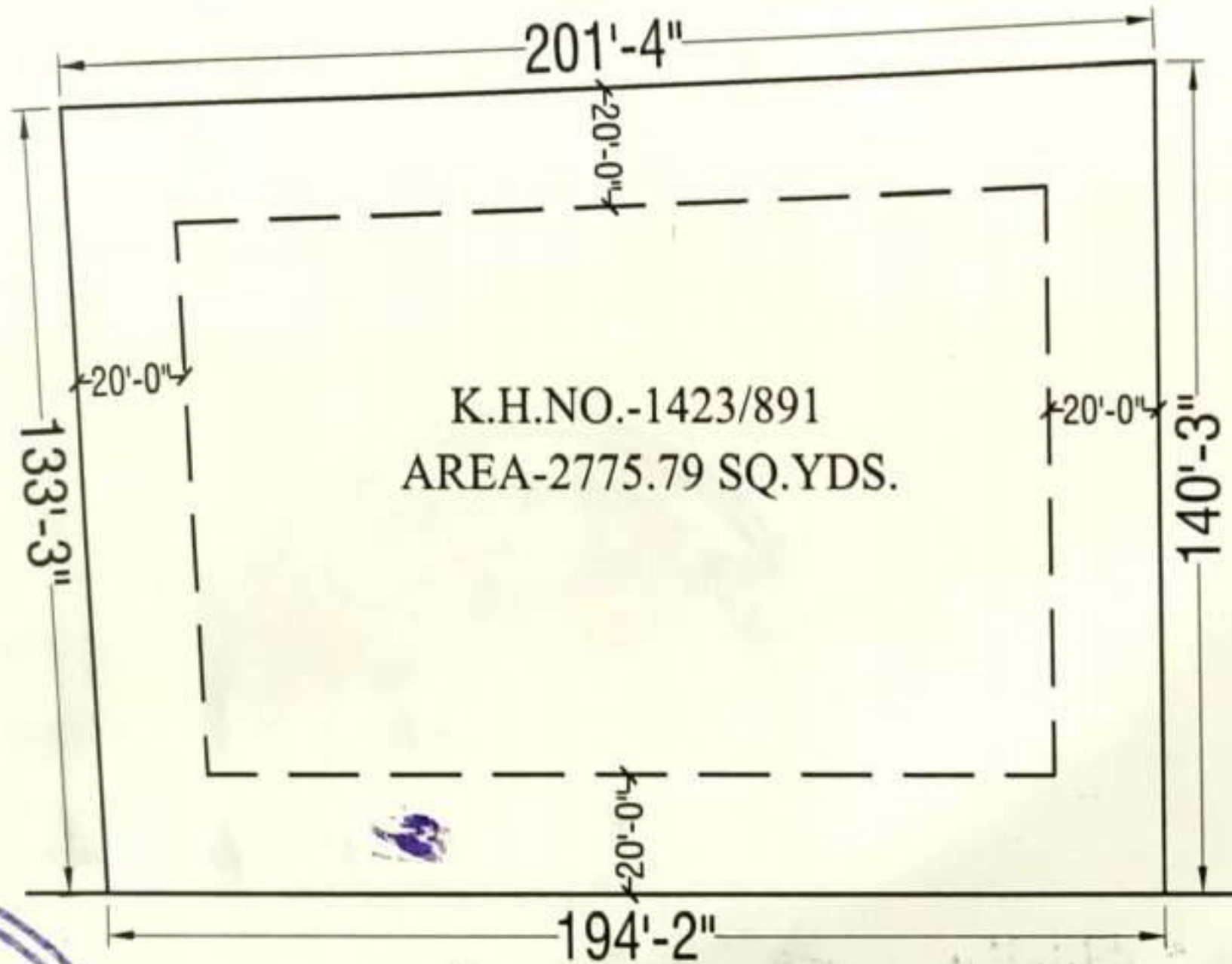
PARAMETERS:-

AREA OF LAND :- 2775.79 SQ.YDS.

LAND USE :- RESIDENTIAL

OTHER CONSTRUCTION PARAMETERS AS PER PREVAILING BYE LAWS.

SCALE:- 1"=50 FEET



ROAD 40'-0" WIDE

R/W 30'-0"

SITE ENGINEER
ZONE - 4

A.T.P.
ZONE - 4

25/04/2015
उपायुक्त जोन-4
DY. COMMISSIONER
ZONE - 4

Registration Endorsement

Print Date: 4/25/2025 4:37:10 PM

आज दिनांक 25/04/2025 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1481 में
पृष्ठ संख्या 122 क्रम संख्या 202503024105147 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5520 के
पृष्ठ संख्या 471 से 480 पर चस्पा किया गया।

202501024006351

Supplementary Deed -(i) for correction of clerical errors or to make amendments not amounting to transfer of interest in any property

उप पंजीयक SANGANER-I
सांगानेर प्रथम

